

राजस्थान-सरकार

न्यायालय तहसीलदार पंचपदरा , जिला बाडमेर

प्रार्थी

वनाम

विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये

श्री अणदाराम पुत्र चेनाराम वगै०

पटवारी हल्का गोपडी

कौम मेगवाल सा० चादियों की ढाणी

प्रकरण संख्या 03/2022 अन्तर्गत धारा 91 रा० भू-राजस्व अधिनियम
1956 के तहत।

निर्णय

दिनांक 12.08.2022

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोपडी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि मौजा चादियों की ढाणी के खसरा नम्बर 82 रकबा 04-17 बीघा किस्म गै० मु० रास्ता में से रकबा 0-11 बीघा भूमि पर गैर-सायल द्वारा बाड बनाकर मौके पर रास्ता बंद कर अतिक्रमण कर रखा है। गैर-सायल के विरुद्ध आ० एल० आ० एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया।

अतः नोटिस तामिल अदमतामिल प्राप्त । गैर सायल अनुपस्थित, गैर सायल के वकील द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब पेश नहीं किया है। विप्रार्थी द्वारा गै० मु० रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रकरण में पटवारी एवं भू० अ० निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार गैर सायल को आ० एल० आ० एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमी करार दिया जाकर विवादित आराजी से बेदखल किया जाता है साथही लगान रूपये 0-09 का 50 गुणा 05-00/जूर्माना आरोपित किया जाता है जो गैर सायल से वसूल किया जाना है।

आदेश से त० रा० ले० भू० अ० निरीक्षक और पटवारी हल्का सूचित हो । पत्रावली फ़ैसल सुमार हो।

आज दिनांक 12.08.2022 को खुले न्यायालय में निर्णय कार्यालय मोहर से जारी किया गया।


तहसीलदार, पंचपदरा

